सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 74/2019 दायर दिनॉक :– 22.02.2019

वादी		प्रतिवादीगण
1. लोकेश कुमार पुत्र श्री छगनलाल जाति– ब्राहम्ण, निवासी– केराप, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1– रामू पुत्र श्री विडदनाथ 2– प्रेम पुत्र विडदनाथ 3– श्रवण पुत्र श्री सोहन 4– पूरणा उर्फ पुखराज पुत्र सोहन 5– शिव कंवर वैवा सोहन 6– अशोक नाथ पुत्र स्व0 भंवरनाथ 7– मनोज नाथ पुत्र स्व0 भंवरनाथ 8– दिनेशनाथ पुत्र स्व0 भंवरनाथ 9– सुमन पुत्री स्व0 भंवरनाथ 10– सरस्वती देवी पत्नी स्व0 भंवरनाथ 11– तुलछीनाथ पुत्र श्री सुजानाथ 12– गुलाबनाथ पुत्र श्री सुजानाथ 13– किशननाथ पुत्र लालनाथ 14– प्रेमनाथ पुत्र श्री लालनाथ 15– गंगानाथ पुत्र श्री नारायणनाथ 16– सायरनाथ पुत्र श्री नारायणनाथ 17– भगवाननाथ पुत्र श्री शंकरनाथ 18– कानानाथ पुत्र श्री शंकरनाथ 19– पुखराज पुत्र श्री शंकरनाथ समस्त जाति जोगी निवासीगण केराप तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 20– लादूराम उर्फ रमेश पुत्र काशी प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी केराप तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 21– तहसीलदार महोदय, डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री अजीतसिंह, वादी।
2. श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, प्रतिवादी सं0 01 ता 20।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 74 / 2018
दायर दिनॉक 22.02.2019 निर्णय दिनॉक 26.02.2019
लोकेश कुमार बनाम् **रामू राम**, वगैरा।

–:: निर्णय ::–

दिनॉक 26.02.2019

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वाके शरहद केराप खेत खसरा नम्बर 255 254, 251, 252, 173, 174, 711, 712, 714, 715, 716, 718, 719 की भूमि प्रतिवादीगण सं0 1 ता 19 के पूर्वजों से पैत्रिक सम्पति की भूमि रही है। जिनकी खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि वाद के साथ प्रस्तुत है।

यह है कि प्रतिवादी सं0 1 ता 5 के पिता, दादा व ससुर स्व0 बिडदनाथ पुत्र गुमाननाथ ने अपने हिस्से की भूमि मे से खसरा नम्बर 254 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 255 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 711 रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा व खसरा नम्बर 712 रकबा 04 बीघा 16 बिस्वा भूमि जरिये विकय–पत्र दिंनाक 03.06.1971 को बैचाण कर दी। उक्त बैचाण मे उपरोक्त खसरान के पडौस विकय–पत्र के पृष्ठ सं0 3 पर दर्ज करवा दिया, मगर सहवन या लिपिकीय त्रुटी से उक्त बैचाण में खसरा नम्बर 718 रकबा 10 बीघा 03 बिस्वा दर्ज हो गया। जबकि वास्तव में वादी व प्रतिवादी सं0 20 के पिता काशी प्रसाद के खरीद करने के समय से आज तक खसरा नम्बर 255, 254, 711 व 712 की कुल भूमि 14 बीघा पर कब्जा काश्त आज भी वादी व प्रतिवादी सं0 20 का है। बैचाण की छाया प्रति वाद के साथ प्रस्तुत है।

यह है कि उक्त बैचाण करने के पश्चात् वादी व प्रतिवादी सं0 20 ने कब्जा भी खसरा नम्बर 254, 255, 711 व 712 पर कर लियां उपरोकत खसरान की समस्त भूमि एक ही चख यानि नजरी नक्शे में मार्क ए बी सी डी इ एफ जी एच आई से दर्शित है। जिसका नजरी नक्शा अनुसूचि ''अ'' है, जो दावा का अहम हिस्सा है।

यह है कि नजरी नक्शा में मार्क 'क' खसरा नम्बर 254, 255 की भूमि पर वादी लोकेश कुमार का कब्जा काश्त खरीद करने के समय से ही है। मौके पर दोनों खेत के मध्य सीमा नहीं है। इसी प्रकार नजरी नक्शा मे मार्क ख खसरा नम्बर 711 व 712 की भूमि पर प्रतिवादी सं0 20 लादु उर्फ रमेश का कब्जा काश्त आज भी है। उक्त खसरान के बीच में कोई सीमा नही है। नजरी नक्शा मे मार्क क वाली भूमि में वादी लोकेश कुमार का पानी का होद बना हुआ है। मगर सहवन से राजस्व रेकड में खसरा नम्बर 718 रकबा 10 बीघा 03 बिस्वा भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 20 के खातेदारी में दर्ज हो गयी, जबकि उक्त भूमि प्रतिवादीगण सं0 1 ता 19 के

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

कब्जे–काश्त व खातेदारी की है। इसलिए वादी व प्रतिवादी स0 20 को खसरा न0 254, 255 व 711 व 712 की खातेदारी प्राप्त करने हेतु घोषणा खातेदारी का दावा करना लाजमी आया है।

यह है कि नजरी नक्शे में मार्क ख खसरा नं0 711 व 712 की भूमि प्रतिवादी लादु उर्फ रमेश के बंट व कब्जे काश्त में है तथा नजरी नक्शे में मार्क क खसरा नम्बर 254 व 255 की भूमि वादी लोकेश कुमार के बंट व कब्जे काश्त मे है मगर अभी तक विधिवत् बंटवारा नहीं होने के कारण वर्षो के समय सीमा बाबत विवाद होने के कारण विधिवतृ बंटवारा करने का वाद पेश करना लाजमी आया है।

यह है कि वादी पक्ष सम्वत् हाल में अपने कब्जे–काश्त की भूमि में खाद डालने गये , तब प्रतिवादीगण आमादा –फिसाद हुए एवम् वादी को एलानियॉ धमकी दी कि इस वर्ष काश्त करने नहीं देगें। यदि वादी पक्ष के कब्जा काश्त की भूमि से वेदखल कर दिया तो वादी पक्ष को अपार हानि होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति नगदी से सम्भव नहीं होगी। इसलिए वादी पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा का वाद करना लाजमी आया है।

तहसीलदार महोदय लैण्ड होल्डर होने की वजह से आवश्यक पक्षकार होने से इस वाद में पक्षकार बनाया है। मगर यह वाद किसी सरकारी भूमि बाबत नहीं है, इसलिए दो माह की अवधी का नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है।

वादी व प्रतिवादी सं0 20 का हित एक ही है, मगर प्रतिवादी स0 20 सकुनत पर हाजिर नहीं होने के कारण उन्हें परफोरमा प्रतिवादी बनाया गया है।

राजस्व रेकर्ड मे दर्ज जीवणी बैवा बिडदनाथ व फूला बैवा शकर नाथ फौत हो चुकी है। जिनके वारिसान पहले से ही दर्ज है। इसलिए जीवणी व फुला का इस वाद में पक्षकार नहीं बनाया है।

प्रार्थना वादी यह है कि –

क) कि वाके शरहद केराप खेत खसरा नम्बर 254 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा खसरा नम्बर 255 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा का वादी को व खसरा नम्बर 711 रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा व खसरा नम्बर 712 रकबा 04 बीघा 16 बिस्वा का खातेदार प्रतिवादी स. 20 को घोषित किया जावे तथा खसरा नम्बर 716 पुनः प्रतिवादीगण के नाम यथावत रखा जावे।

उपखण्ड अधिकारी कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

ख) कि नजरी नक्शे में मार्क 'क' खसरा नम्बर 254 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा व खसरा नम्बर 255 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा भूमि वादी लोकेश के बंट में व नजरी नक्शे में मार्क 'ख' खसरा नम्बर 711 रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा व खसरा नमबर 712 रकबा 04 बीघा 16 बिस्वा की सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी लादु उर्फ रमेश के बंट में घोषित की जाये।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 21 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 21 के बावजूद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी व प्रतिवादीगण की ओर से राजीनामा पेश किया। राजीनामा की इबारत् पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गयी, जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना स्वीकार किया गया। वादी की पहचान वकील श्री अजीत सिंह ने तथा प्रतिवादीगण की पहचान वकील श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने की। हस्ब बख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया।

मुताबिक राजीनामा, माफिक अनुतोष वादी, दावा डिक्री किया जावे।

विद्वान वकुलाय की सारगर्भित बहस सुनी गयी। वकुला माफिक राजीनामा/अनुतोष वादी माफिक दावा डिक्री किये जाने पर राहमत हैं। मिसल पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया।

वाद का किसी पक्षकार द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है व माफिक राजीनामा दावा डिक्री की इस्तदुआ पक्षकारान् जरिये वकुलाय कर रहे हैं कि, खसरा नम्बर 254 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 255 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा का वादी को व खसरा नम्बर 711 रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा व खसरा नम्बर 712 रकबा 04 बीघा 16 बिस्वा का खातेदार प्रतिवादी सं. 20 को घोषित किया जाये तथा खसरा नम्बर 718 पुनः प्रतिवादीगण के नाम यथावत रखा जावें। नजरी नक्शे में मार्क 'क' खसरा नम्बर 254 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा व खसरा नम्बर 255 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा भूमि वादी लोकेश के बंट में व नजरी नक्शे में मार्क 'ख' खसरा नम्बर 711 रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा व खसरा नमबर 712 रकबा 04 बीघा 16 बिस्वा की सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी लादु उर्फ रमेश के बंट में घोषित की जाये। ऐसी सूरत में

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 74 / 2018
दायर दिनॉक 22.02.2019 निर्णय दिनॉक 26.02.2019
लोकेश कुमार बनाम् **रामू राम**, वगैरा।

माफिक राजीनामा दावा डिक्री किया जाना, अदालत को उचित प्रतीत होता है। अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर निम्नानुसार किया जाता है

1. वाके सरहद केराप के खसरा नम्बर 254 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 255 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा का लोकेश कुमार पुत्र छगनलाल को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. वाके सरहद केराप के खसरा नम्बर 711 रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा व खसरा नम्बर 712 रकबा 04 बीघा 16 बिस्वा का लादुराम उर्फ रमेश पुत्र काशी प्रसाद को स्वतत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. खसरा नम्बर 718 पुनः प्रतिवादीगण संख्या 01 से 19 के नाम यथावत रखा जाता है।

पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वे एक–दूसरे के हिस्से व खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार से दखलन्दाजी नही करें। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

(उत्तमसिह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनॉक 26.02.2019 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 74/2019 दायर दिनॉक 22.02.2019

वादी		प्रतिवादीगण
1. लोकेश कुमार पुत्र श्री छगनलाल जाति– ब्राहम्ण, निवासी– केराप, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1– रामू पुत्र श्री विड़दनाथ 2– प्रेम पुत्र विड़दनाथ 3– श्रवण पुत्र श्री सोहन 4– पूरणा उर्फ पुखराज पुत्र सोहन 5– शिव कंवर बैवा सोहन 6– अशोक नाथ पुत्र स्व0 भंवरनाथ 7– मनोज नाथ पुत्र स्व0 भवरनाथ 8– दिनेशनाथ पुत्र स्व0 भंवरनाथ 9– सुमन पुत्री स्व0 भंवरनाथ 10– सरस्वती देवी पत्नी स्व0 भवरनाथ 11– तुलछीनाथ पुत्र श्री सुजानाथ 12– गुलाबनाथ पुत्र श्री सुजानाथ 13– किशननाथ पुत्र लालनाथ 14– प्रेमनाथ पुत्र श्री लालनाथ 15– गंगानाथ पुत्र श्री नारायणनाथ 16– सायरनाथ पुत्र श्री नारायणनाथ 17– भगवाननाथ पुत्र श्री शकरनाथ 18– कानानाथ पुत्र श्री शकरनाथ 19– पुखराज पुत्र श्री शंकरनाथ समस्त जाति जोगी निवासीगण केराप तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 20– लादूराम उर्फ रमेश पुत्र काशी प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी केराप तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 21– तहसीलदार महोदय, डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खतेदारी, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188, R.T.Act.

दिनॉक 26.02.2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री अजीत सिंह, वकील, वादी व श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 20 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा राजीनामा अनुसार डिक्री सादिर निम्नानुसार किया जाता है :–

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

1. वाके सरहद केराप के खसरा नम्बर 254 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 255 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा का लोकेश कुमार पुत्र छगनलाल को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

2. वाके सरहद केराप के खसरा नम्बर 711 रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा व खसरा नम्बर 712 रकबा 04 बीघा 16 बिस्वा का लादुराम उर्फ रमेश पुत्र काशी प्रसाद को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

3. खसरा नम्बर 718 पुनः प्रतिवादीगण संख्या 01 से 19 के नाम यथावत रखा जाता है।

पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वे एक–दूसरे के हिस्से व खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार से दखलन्दाजी नही करें। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.............–............ ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 26.02.2019 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner